न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
51 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022	01.07.2022	06.01.2023

मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
............आवेदक

बनाम

1–श्री पवन कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स पवन डिपार्टमेन्टल स्टोर झिलाई रोड निवाई जिला टोंक निवासी वार्ड नं. 5 मायला बाग निवाई जिला टोंक
...............अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–अप्रार्थी स्वयं उप.।

:–**निर्णय**–:

दिनांक 06.01.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.02.2022 को समय दोपहर 12.21 पी.एम पर मैसर्स पवन डिपार्टमेन्टल स्टोर झिलाई रोड निवाई जिला टोंक (राज0) पर पहुँचा। वहाँ पर श्री पवन कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री पवन कुमार जैन ने स्वयं को मैसर्स पवन डिपार्टमेन्टल स्टोर झिलाई रोड निवाई जिला टोंक (राज0) का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री पवन कुमार जैन की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **प्रोपरायटरी फूड पापड शाही सिन्धी विनायक ब्राण्ड (Proprietary Food Papad Shahi Sindhi Vinayak Brand)** दुकान में कागज के कार्टून में 400–400 ग्राम के 16 नग रखे हुये थे जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री पवन कुमार जैन को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विकेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विकेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह **प्रोपरायटरी फूड पापड शाही सिन्धी विनायक ब्राण्ड (Proprietary Food Papad Shahi Sindhi Vinayak Brand)** वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया जा रहा है, 400–400 ग्राम के 4 नग मूल पैक खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **प्रोपरायटरी फूड पापड शाही सिन्धी विनायक ब्राण्ड (Proprietary Food Papad Shahi Sindhi Vinayak Brand)** को 400–400 ग्राम को

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

बराबर–बराबर (एक भाग 400 ग्राम) को ज्यों का त्यों खाकी कागज से लपेटकर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3106 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3106 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारो नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

खाद्य पदार्थ **प्रोपरायटरी फूड पापड शाही सिन्धी विनायक ब्राण्ड (Proprietary Food Papad Shahi Sindhi Vinayak Brand)** का नमूना कय करते समय श्री पवन कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स पवन डिपार्टमेन्टल स्टोर झिलाई रोड निवाई जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 2022 / 817 दिनांक 07.04.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस. / 1058 / एक्ट / 2022 / 1103 दिनांक 24.03.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया गया **प्रोपरायटरी फूड पापड शाही सिन्धी विनायक ब्राण्ड (Proprietary Food Papad Shahi Sindhi Vinayak Brand)** एफ.एस.एस.ए.की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया जिसकी सूचना अप्रार्थी को भिजवायी गयी।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री पवन कुमार जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स पवन डिपार्टमेन्टल स्टोर झिलाई रोड निवाई जिला टोंक को पत्र प्रेषित कर बतौर वारन्टी खरीद बिल चाहा गया परन्तु कोई खरीद बिल प्राप्त नहीं हुआ। अतः आवेदक ने विकेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **प्रोपरायटरी फूड पापड शाही सिन्धी विनायक ब्राण्ड (Proprietary Food Papad Shahi Sindhi**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Vinayak Brand) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **प्रोपरायटरी फूड पापड शाही सिन्धी विनायक ब्राण्ड (Proprietary Food Papad Shahi Sindhi Vinayak Brand)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा व 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 20,000/-(अक्षरे बीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 06.01.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(शिव चरण मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0